FAM No. 181 of 2019

AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

24–3–2021 को निर्णय सुरक्षित

26–3–2021 को निर्णय सुनाया गया

एफ़एएम नंबर 181/2019

(सिविल वाद क्रमांक 9–अ/2019 में न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 15.5.2019 से उत्पन्न)

• राहुल तिवारी, पिता श्री जगदीश तिवारी, आयु 26 वर्ष लगभग,

निवासी– सुभाष नगर, सैनी कॉलोनी, रांझी, जबलपुर,

तहसील एवं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश ---------- अपीलार्थी

विरुद्ध

• श्रीमती वंदना तिवारी पति राहुल तिवारी, आयु 21 वर्ष लगभग,

निवासी– चंदवारीडांड, मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया छत्तीसगढ़ ------- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता की ओर से श्री रामसेवक सोनी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी की ओर से श्री अमित कुमार सोनी, अधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

माननीय श्री न्यायमूर्ति एन.के. चंद्रवंशी

सी.ए.व्ही. निर्णय

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा दिया गया है।

1. अपीलार्थी (पति) कुटुंब न्यायालय मनेंद्रगढ़ द्वारा पारित आदेश क्षुब्ध है, जिसमे उत्तरवादी/पत्नी के हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (संक्षिप्त रूप में एचएएमए) की धारा 18 के तहत आवेदन को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता/पति को अपनी पत्नी के भरण–पोषण के लिए मई, 2019 से प्रति माह 3,000/– की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है ।

2. कार्यवाही के पक्षकारों का 26.11.2015 को हिंदू रीति–रिवाजों के अनुसार विवाह हुआ। दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद के कारण सिविल वाद क्रमांक 45–ए/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.3.2019 के द्वारा उनका विवाह विघटित कर दिया गया ।

3. दिनांक 14.1.2019 को प्रस्तुत इस आवेदन में, जब विवाह अस्तित्व में था, पत्नी/उत्तरवादी ने निवेदन किया कि उसका पति/अपीलकर्ता अपने टैक्सी व्यवसाय से अच्छी आय अर्जित कर रहा है और उसके पास अपनी आजीविका का कोई साधन नहीं है, इसलिए, उसे 10,000/– मासिक भरणपोषण की अनुमति दी जानी चाहिए। अपीलकर्ता ने निवेदन किया कि वह एक ड्राइवर है और प्रति माह 3000–4000/– कमाता है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय ने आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता/पति को अपनी पत्नी के भरण–पोषण के लिए मई, 2019 से प्रति माह 3,000/– का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. गुण–दोष और भरण–पोषण की मात्रा पर तर्क के अलावा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि तलाकशुदा पत्नी एचएएमए की धारा 18 के तहत भरण–पोषण का दावा नहीं कर सकती है।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है। मामले पर विचार करने के लिए, एचएएमए की धारा 18 का संदर्भ लेना उपयुक्त होगा। इसे तत्कालिक संदर्भ के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:–

> "**18 पत्नी का भरण–पोषण–**(1) इस धारा के उपबंधों के अध्याधीन यह है कि हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् विवाहित हो अपने जीवनकाल में अपने पति से भरण–पोषण पाने की हकदार होगी।

(2) हिंदू पत्नी भरण–पोषण के दावे को समपहृत किये बिना अपने पति से पृथक रहने के लिये निम्नलिखित किसी भी दशा में हकदार होगी –

(क) यदि उसका पति अभित्यजन, अर्थात् युक्तियुक्त कारण के बिना और उसकी सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरूद्ध उसका परित्याग करने का या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है;

(ख) यदि उसका पति उसके साथ ऐसी क्रुरता का व्यवहार करे जिससे उसके अपने मन में इस बात की युक्तियुक्त आशंका पैदा हो कि उसके पति के साथ रहना अपहानिकर या क्षतिकारक होगा;

(ग) यदि वह गंभीर रूप से कुष्ठ रोग से पीड़ित है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) यदि उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है;

(ड़) यदि उसका पति उसी गृह में जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है कोई उपपत्नी रखता है या किसी उपपत्नी के साथ किसी स्थान में अभ्यासतः निवास करता है;

(च) यदि उसका पति कोई अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिन्दु नहीं रह गया है; और

(छ) यदि उसके पृथक रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण है।

(3) यदि कोई हिंदू पत्नी असती है या किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिन्दु नहीं रह गई है तो वह अपने परित से पृथक निवास करने और भरण पोषण प्राप्त करने की हेकदार नहीं होगी ।

6. उपरोक्त उद्धृत प्रावधान यह बताता है कि एचएएमए की धारा 18 में हिंदू पत्नी, चाहे वह एचएएमए के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् में विवाहित हो, अपने जीवनकाल में अपने पति से भरण–पोषण पाने की हकदार होगी। उप–धारा (2) में प्रावधान है कि हिंदू पत्नी अपने भरण–पोषण के दावे को समपहृत किये बिना अपने पति से पृथक रहने की हकदार होगी, यदि वह उप–धारा (2) के खंड (क) से (छ) के तहत उल्लिखित आकस्मिकताओं को पूरा करती है। इसी तरह उपधारा (3) उस स्थिति का प्रावधान करती है जब एक हिंदू पत्नी पृथक निवास की हकदार नहीं होगी, इसमें यह कहा गया है, हिंदू पत्नी अपने पति से पृथक निवास और भरण–पोषण की हकदार नहीं होगी यदि वह असती है या दूसरे धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गई है।

7. एचएएमए की धारा 18 को सूक्ष्मता से अध्ययन किये जाने पर पर पता चलता है कि जब पति उप–धारा (2) के खंड (क) से (छ) के तहत प्रदान की गई किसी भी चूक का दोषी है, तो हिंदू पत्नी अलग रहने और भरण–पोषण का दावा करने की हकदार होगी। पति से पृथक रहते हुए भी भरण–पोषण का दावा तब उत्पन्न होता है जब उनके बीच विवाह कायम रहता है, हालांकि, जब विवाह विघटित हो जाता है, तो एक तलाकशुदा पत्नी धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और भरण–पोषण का दावा करने और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 27 के अधीन स्त्रीधन का दावा करने की अधिकारी है। इसी तरह, एक तलाकशुदा पत्नी भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण–पोषण का दावा कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (ख) कहता है कि पत्नी में वह महिला शामिल है जिससे उसके पति ने विवाह–विच्छेद कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह–विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने **रोहताश सिंह विरुद्ध और रमेन्द्री (श्रीमती) एवं अन्य (2000) 3 एससीसी 180** और **वनमाला (श्रीमती) विरुद्ध एच एम रंगनाथ भाटिया** (1995) 5 एससीसी

299 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टांत प्रस्तुत कर यह तर्क दिया गया कि एक तलाकशुदा पत्नी भी अपने पति से भरण–पोषण का दावा कर सकती है।

9. **रोहताश सिंह एवं वनमाला (श्रीमती) (सुप्रा),** के उपरोक्त निर्णय में द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत भरण–पोषण के दावे पर विचार कर रहे थे। उक्त मामलों में एचएएमए के तहत कोई कार्यवाही नहीं हुई। धारा 125 द.प्र.सं. की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (ख) प्रावधान करता है कि पत्नी में वह महिला शामिल है जिससे उसके पति ने विवाह–विच्छेद कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह–विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है। इस न्यायालय को इस पूर्वसर्ग से सहमत होना होगा कि धारा 125 द.प्र.सं. के अंतर्गत एक तलाकशुदा पत्नी भरण–पोषण का दावा कर सकती है, हालाँकि, एचएएमए की धारा 18 में निहित प्रावधानों को अलग–अलग शब्दों में लिखा गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **चांद धवन (श्रीमती) विरुद्ध जवाहरलाल धवन** (1993) 3 एससीसी 406 के मामले में इस पर विचार किया है। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 25 एवं 26 में अवलोकन किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "25. इस परिपेक्ष्य में, हमें इस विचार पर सहमत होने में कोई झिझक नहीं है कि जब हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के हस्तक्षेप से, वैवाहिक स्थिति पर प्रभाव या व्यवधान आता है, तो डिक्री पारित करते समय दिये गये शक्ति का उपयोग करते हुये, निश्चित रूप से स्थायी गुजारा भत्ता या भरणपोषण प्रदान करने की शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त, इसमें यह शक्ति भी है कि बाद में अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी द्वारा आवेदन पेश करने पर इसका प्रयोग किया जा सकेगा। और ऐसा आदेश, सभी परिस्थितियों में, उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहता है, जिसे भविष्य की स्थितियों के अनुसार परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है। इसके विपरीत, वैवाहिक स्थिति को प्रभावित या बाधित किए बिना, उस स्थिति को बनाए रखने वाली एक हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रह सकती है, और चाहे वह उस

राज्य में रह रही हो या नहीं, उसका भरण–पोषण का दावा हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम की धारा 18 (1) के अंतर्गत संहिता में संरक्षित है। न्यायालय एक अधिनियम के अंतर्गत अन्य अधिनियम के तहत कार्यवाही में सरलता से प्राप्त होने वाले भरण–पोषण का अनुतोष देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि स्पष्ट है, दोनों विधि संहिताबद्ध हैं और अपने विषयों पर स्पष्ट हैं। इस प्रकार से विस्तृत व्याख्या के अनुसार भरणपोषण के विषय पर अंतर को नष्ट करने हेतु अंतर–परिवर्तनशीलता की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(विशेष बल दिया गया)

26. पत्नी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अनुतोष मिल सकता है, जिसके अंतर्गत भरण–पोषण का आदेश विवाद के बाद दिया जा सकता है, और अंतरिम भरण–पोषण का आदेश बिना किसी अधिक विवाद के शुरुआत में ही दिया जा सकता है। हालाँकि इस प्रावधान की दो विशिष्ट विशेषताएं हैं–(i) यह प्रावधान केवल हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि सभी पर लागू होता है; और (ii) भरण–पोषण भत्ता 500/– प्रति माह से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन यह निराश्रित पत्नियों के लिए वैकल्पिक उपाय है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ऐसा व्यक्त करने के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 28 में आगे व्यक्त किया है कि "जब विशिष्ट दावे दो अलग–अलग विधि के अंतर्गत आते है और उनके अंतर्गत परिकल्पित न्यायालयों में विचारणीय होते है, तो यह तर्क देना कठिन है कि जब कोई दावा अन्यथा वैध होता, तो एक मंच या दूसरे को चुनने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह केवल प्रक्रियागत या तकनीकी अनियमितताएँ नहीं हैं, ये ऐसे मामले हैं जो क्षेत्राधिकार की जड़ तक जाते हैं। वैवाहिक न्यायालय, जो विशेष क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय है, को भरण–पोषण के दावे पर निर्णय देने के लिए डिक्री पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसका तात्पर्य यह है कि

जब तक यह पक्षकारों के बीच वैवाहिक स्थिति को प्रभावित या बाधित करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, तब तक वह निर्णय नहीं ले सकता।"

11. **चांद धवन (श्रीमती) (सुप्रा)** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत के परिपेक्ष्य में, एचएएमए की धारा 18 के अंतर्गत उत्तरवादी/पत्नी का दावा, सिविल वाद क्रमांक 45अ/2018 में 6.3.2019 को पारित दोनों पक्षों के मध्य विवाह–विच्छेद की डिक्री पारित होने के पश्चात अस्तित्व में नहीं रहता है। इसलिए दिनांक 15.5.2019 को पारित की गई विवादित डिक्री उनके विवाह–विच्छेद के पश्चात् प्रभावशील नहीं है।

12. तदनुसार, विवादित निर्णय और डिक्री को रद्द किया जाता है। हालाँकि, उत्तरवादी/पत्नी को विधि के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत अपना दावा प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी, जिसके अंतर्गत वह भरण–पोषण का दावा करने की अधिकरणी है।

13. परिणामस्वरूप, अपील को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है, पक्षकार अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

14. तदनुसार डिक्री बनायी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(प्रशांत कुमार मिश्रा)
न्यायाधीश

सही/–

(एन.के.चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

आयुषी

संक्षिप्त भूमिका

तलाकशुदा हिंदू पत्नी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के तहत भरण–पोषण का दावा नहीं कर सकती है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur